नयायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प सदारामजी का खेडा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–27/2016

दायर तारीख 08.09.2016

अनवान

सुन्दरबाई पत्नि घीसीलाल जाति धाकड उम्र 60 साल निवासी भगवानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

...........वादीया

बनाम

1. सन्तोष पत्नि ताराचन्द जाति कराड उम्र बालिग निवासी उदपुरीया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
2. उगमी पत्नि गोपाललाल जाति कराड उम्र बालिग निवासी उदपुरीया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
3. चन्द्रकला पत्नि प्रताप जाति कराड उम्र बालिग निवासी उदपुरीया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
4. देवालाल पिता किसना जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी अमरनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः– गिरधारी लाल आचार्य अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांक :– 22.06.2018**

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमरनिवास प0ह0 उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां में स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0न0 172/82 रकबा 17 बिस्वा की अभिलिखित कब्जेधारी खातेदार काश्तकार है। वादीया को अपने खाते एंव कब्जे की भूमि पर काबिज यह उसका जरिये काश्त के उपयोग करने का वैधानिक अधिकार होकर वादीया उसका उपयोग उपभोग कर रही है। वर्तमान में वादीया ने मक्की की फसल की बुआई की है। प्रतिवादीगण का वादीया के खाते व कब्जे वाली वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही है न वादीया के कब्जे काश्त में उन्हे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वादीया उसके खाते की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा रोकना एंव जबरन भुजबल व पाश्विक बल का उपयोग कर काबिज होने का प्रयास वादीया सम्पति संबंधि अधिकारों का हनन एंव अवैध अतिचार है। वादीया को प्रतिवादीगण के द्वारा वादीया की खातेदारी व कब्जे की भूमि पर अतिचार करने से रोकने का कानूनी अधिकार है जो न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अतिरिक्त वादीया के पास अन्य कोई विकल्प नही है स्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रतिवादीगण वादीया की बेदखली सुनिश्चित कर देंगे व अवैध कब्जा कर वादीया को भूमि के कृषि उपयोग से वंचित कर देंगे व वादग्रस्त जायदाद के अनावश्यक झगडे पैदा कर देंगे। प्रतिवादीगण ने वादीया को धमकी दी कि यदि वादीया वादग्रस्त खसरा नं0 की भूमि प्रतिवादीगण को कब्जा करने से रोकेगी तो वे वादीया की भूमि को [illegible]

भूमि ख0नं0 172/82 रकबा 17 बिस्वा पर से वादीया का कब्जा नही हटाये वादीया को काबिज रह काश्त करने से नही रोकने भूमि को नष्ट प्रायः नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। दोराने कार्यवाही प्रकरण में यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त जायदाद पर कब्जा कर ले तो धारा 209 रा0टि0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्व वादीया के पक्ष में बेदखली की डिक्री प्रदान करायी जावे। वादपत्र डिक्री फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण नं0 1 व 4 की और से श्री जगदीश चन्द्र धाकड, निर्मल कुमार जोशी अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा। प्रतिवादी नं0 2 व 3 गैर हाजिर रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 व 4 के विरुद्व जवाब प्रस्तुत न कर पेरवी से इंकारी जाहिर की। जिससे इनके विरुद्व भी एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 मौका पर्चा, पत्थरगढी की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। शहादत वादी में वादी कोइ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है इसलिये शहादत वादी बंदी की गई।

बहस एकपक्षिय वादी अधिवक्ता की सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

वादीया ने वादपत्र के साथ नकल सलंग्न जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार है। अतः वादपत्र वादीया के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित वादी की रिकार्डेड खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम अमरनिवास पटवार हल्का उमाजी का खेडा में स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0नं0 172/82 रकबा 17 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नही करे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2018 को मुकाम सदारामजी का खेडा लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

22/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प सदाराम जी का खेडा)